

प्रिया
११५१७

संख्या- ४२९ /XXVIII(1)/2017-150/2005 T.C III

प्रेषक,

डी० सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
है०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१

देहरादून: दिनांक ॥ अप्रैल, 2017

विषय:- नीट पी०जी० 2017 केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2017-18 में हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की पी०जी० सीटों पर प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-25/HNBUMU/2017-18 दिनांक 07.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की शैक्षणिक सत्र 2017-18 की राज्य कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु शुल्क निर्धारण का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में है०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-०५/एचएनबीयूएमयू/नीट पी०जी० काउंसिलिंग/१७-१८ दिनांक 03.04.2017 के क्रम में शासनादेश संख्या-३७७/XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से नीट पी०जी० 2017 केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग में सीट विभाजन एवं शुल्क निर्धारण के स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।

3— उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमिक ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य (Writ Petition Civil No.-350 of 1993), टी०एम०५० पाई फाउण्डेशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य (2002/8 SCC481), पी०ए० ईनामदार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य (सिविल अपील नं०-५०४१/२००५) वाद प्रकरणों में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अधिनियम पारित करके ऐसी समिति गठित करेगी, जो अनानुदानित विश्वविद्यालय/संस्थानों आदि के प्रवेश एवं शुल्क संबंधी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी और शुल्क निर्धारण करेगी। चूंकि हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं०-१२ वर्ष 2013) के अनुसार स्थापित किया गया है। अतः उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 (संशोधन अधिनियम, 2010) की धारा-०२ के अनुसार यह अधिनियम हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून पर भी समान रूप से लागू होता है तथा सन्दर्भित संस्थान अधिनियम की धारा-३ की उपधारा-दो के प्राविधान की परिधि में आता है। उपरोक्त के दृष्टिगत

हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसीलिए प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित कर हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून का प्रस्ताव शुल्क नियामक समिति को सन्दर्भित नहीं किया गया। चूंकि हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौलीग्रान्ट, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की पी0जी0 सीट्स हेतु शुल्क निर्धारण के लिए समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पी0जी0 सीटों की काउंसिलिंग प्रचलन में है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारणी का अनुपालन कर ससमय काउंसिलिंग सम्पादित किया जाना अनिवार्य है। अतः जिस प्रकार पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या—2472/XXVIII(1)/2016/53/2013 दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत राजकीय कोटे की सीटों का आवंटन करते हुए शुल्क का निर्धारण किया गया, उसी भांति हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून की कूल पी0जी0 सीटों के सापेक्ष राजकीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों सहित सम्पूर्ण सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही करते हुए पी0जी0 पाठ्यक्रम के शुल्क के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1024/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 08.04.2015 के अनुसार हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून हेतु तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1242/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 07.05.2015 के अनुसार उत्तरांचल डेन्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरीग्रांट, देहरादून हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

 ०८ (डी० सेन्ट्रल पाइडियन)
 सचिव।

संख्या— ४२९ /XXVIII(1)/2017/150/2005 T.C III एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— कुलसचिव, हे०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2— निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3— एन०आई०सी० / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

 ०८ (अर०आर० सिंह)
 संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

डी० सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
है०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१

विषय:- नीट पी०जी०, 2017 केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग (Centralized Counselling) में सीट विभाजन एवं शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-०५/एचएनबीयूएमयू/नीट पी०जी० काउन्सिलिंग/१७-१८ दिनांक ०३ अप्रैल, २०१७ के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना दिनांक १०.०३.२०१७ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-V.11025/०४/२०१६-MEP दिनांक २१ फरवरी, २०१७ में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा पी०जी० सीटों का शुल्क निर्धारण उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, २००६ एवं (संशोधन) अधिनियम, २०१० के प्राविधान के अनुसार गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाय, साथ ही काउन्सिलिंग में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,



(डी० सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या- /XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित

- १- कुलपति/अध्यक्ष, NEET PG काउन्सिलिंग बोर्ड, है०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- २- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



For kind perusal
Mobile Registration upload
rebuttal or upload

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
विकित्सा अनुभाग-1
संख्या- 1242/XXVIII(1)/2015-77/2013
देहरादून: दिनांक: 07 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अमानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रदेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (सशोधन) अधिनियम 2010 को अन्तर्गत राज्य में निजी क्षेत्र के असहायतित विकित्सा शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को लिए शुल्क निर्धारण हेतु जस्टिस राम अदातार सिंह (सेवा निवृत्त न्यायधीश), की अध्यक्षता में गठित शुल्क ढांचा समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 एवं दिनांक 17.04.2015 की संतुष्टि के अनुसार पूर्व में संस्थानों हेतु विभिन्न शासनादेशों के मध्यम से निर्धारित किये गये शुल्क सम्बन्धित शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए तालिका में डिलिखित संस्थाओं का शुल्क निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।

(1) सीमा डेन्टल कॉलेज, क्रष्णकेश।

क्र०	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क
1	बी०डी०एस०	सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	1,95,000/- वार्षिक
2	बी०डी०एस०	सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18	2,15,000/- वार्षिक

क्र०	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क
1	एम०डी०एस०	सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	6,12,740/- वार्षिक
2	एम०डी०एस०	सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18	7,09,000/- वार्षिक

(2) स्वास्थ्यक स्कूल ऑफ नर्सिंग, ऊधमसिंह नगर।

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क
1	जी०एन०एम०	राज्य कोर्ट की सीटों हेतु प्रवन्धकीय कोर्ट की सीटों हेतु सत्र 2011-12, 2012-13 37,000/- प्रतिवर्ष 47,000/- प्रतिवर्ष एवं 2013-14
2	जी०एन०एम०	सत्र 2014-15, 2015-16 40,000/- प्रतिवर्ष 50,000/- प्रतिवर्ष एवं 2016-17

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क
1	ए०एन०एम०	राज्य कोर्ट की सीटों हेतु प्रवन्धकीय कोर्ट की सीटों हेतु सत्र 2011-12, 2012-13 33,500/- प्रतिवर्ष 43,500/- प्रतिवर्ष एवं 2013-14
2	ए०एन०एम०	सत्र 2014-15, 2015-16 38,000/- प्रतिवर्ष 48,000/- प्रतिवर्ष एवं 2016-17

(3) चिकित्सा स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, हरिद्वार।

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क
1	जी०एन०एम०	राज्य कोर्ट की सीटों हेतु प्रवन्धकीय कोर्ट की सीटों हेतु सत्र 2011-12, 2012-13 37,000/- प्रतिवर्ष 47,000/- प्रतिवर्ष एवं 2013-14
2	जी०एन०एम०	सत्र 2014-15, 2015-16 40,000/- प्रतिवर्ष 50,000/- प्रतिवर्ष एवं 2016-17

पाठ्यक्रम		पाठ्यक्रम की अवधि		शिक्षण शुल्क	
1	ए०एन०एम०	सत्र 2011-12	2012-13	राज्य कोटे की सीटों हेतु 33,500/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 43,500/- प्रतिवर्ष
2	ए०एन०एम०	एवं 2013-14			
		सत्र 2014-15, 2015-16	2016-17	राज्य कोटे की सीटों हेतु 38,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 48,000/- प्रतिवर्ष
		एवं 2016-17			

पाठ्यक्रम		पाठ्यक्रम की अवधि		शिक्षण शुल्क	
1	बी०एस०सी० नरसिंग	सत्र 2011-12, 2012-13	राज्य कोटे की सीटों हेतु 47,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 57,000/- प्रतिवर्ष	
2	बी०एस०सी० नरसिंग	एवं 2013-14			
		सत्र 2014-15, 2015-16	राज्य कोटे की सीटों हेतु 58,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 66,000/- प्रतिवर्ष	
		एवं 2016-17			

(4) उत्तरांचल डेन्टल कॉलेज, माजरी ग्रान्ट, देहरादून।

क्र०	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क	
1	बी०डौ०एस०	सत्र 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	1,85,000/-	नालिका
2	बी०डौ०एस०	सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18	2,05,000/-	नालिका

(5) श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटेलनगर, देहरादून।

पाठ्यक्रम		पाठ्यक्रम की अवधि		शिक्षण शुल्क	
1	जी०एन०एम०	सत्र 2011-12, 2012-13	राज्य कोटे की सीटों हेतु 37,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 47,000/- प्रतिवर्ष	
2	जी०एन०एम०	एवं 2013-14			
		सत्र 2014-15, 2015-16	राज्य कोटे की सीटों हेतु 40,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 50,000/- प्रतिवर्ष	
		एवं 2016-17			

पाठ्यक्रम		पाठ्यक्रम की अवधि		शिक्षण शुल्क	
1	ए०एन०एम०	सत्र 2011-12, 2012-13	राज्य कोटे की सीटों हेतु 33,500/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 43,500/- प्रतिवर्ष	
2	ए०एन०एम०	एवं 2013-14			
		सत्र 2014-15, 2015-16	राज्य कोटे की सीटों हेतु 38,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु 48,000/- प्रतिवर्ष	
		एवं 2016-17			

(6) श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटेलनगर, देहरादून।

पाठ्यक्रम		पाठ्यक्रम की अवधि		शिक्षण शुल्क	
1	एम०बी०बी०एस०	सत्र 2012-13, 2013-14	राज्य कोटे की सीटों हेतु 4,10,000/- प्रतिवर्ष	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु	
		एवं 2014-15			

२	एम०टी०वी०एस०	सत्र 2015-16 2016-17	-	5,00,000/- प्रतिवर्ष
		एवं 2017-18		

२- उपरोक्त संस्थानों द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई विकास शुल्क, भवन शुल्क या अन्य किसी नाम से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। परन्तु संस्थान इनके लिये रुपये में रु 10,000/- (प्रथम वर्ष प्रवेश के समय) छात्रावास एवं मैरा हेतु न लाभ न हानी (No profit No loss) के सिद्धांत के आधार पर तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क छात्र-छात्राओं से दसूल कर सकेगा।

३- उक्तानुसार अनुमोदित शुल्क ढाँचा उक्त संस्थान में उक्त पाठ्यक्रमों में वर्तमान में अध्ययनक्रत छात्र-छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

४- संस्थान के द्वारा छात्र-छात्राओं से पाठ्यक्रम के पूर्व के वर्षों में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक लिये गये शुल्क को पाठ्यक्रम की शेष अवधि हेतु शुल्क में समायोजित किया जायेगा परन्तु कोई अवधि शेष न होने वाला समायोजन के उपरान्त भी संस्थान द्वारा पूर्व में अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में शुल्क के आधिकार्य को अवश्य द्वारा सम्बन्धित छात्र को वापस किया जाना होगा।

५- यदि संस्थान के द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के लिये गयी है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को सम्बन्धित छात्र-छात्रा को वापस किया जाना अनिवार्य होता।

६- उक्त निर्देशों का उपरोक्त संस्थानों द्वारा कठाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशों की अनुपालन करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(आर० के० सुधांशु)
संघिव।

सुधांशु उन दिनांक तारीख।

महालिये निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. जस्टिज राम अवतार सिंह (सेवा निवृत्त न्यायाधीश), अध्यक्ष प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा श्री सुदर्शन हर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
२. निजी संघिव, संघिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
३. कूलसंघिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
४. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निवेशालय चन्द्र नगर, देहरादून।
५. श्री सुदर्शन हर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
६. प्राचार्य, सीमा डेन्टल कॉलेज, ऋषिकेश।
७. प्राचार्य, स्वास्थ्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऊधमसिंह नगर।
८. प्राचार्य, विन्मय स्कूल ऑफ नर्सिंग, रुडकी, हरिद्वार।
९. प्राचार्य, उत्तरांचल डेन्टल कॉलेज, माजरी ग्रान्ट, देहरादून।
१०. प्राचार्य, श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, पटेलनगर, देहरादून।
११. एन०आई०सी०/गार्ड फार्झिल।

आज्ञा से,

(जी०एन० पन्त)
उप संघिव।